FORM-1
(For Linear Project)
Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, DUNGARPUR (RAJ.)

No. Rev./2017/2761 Dated : 26 July, 2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schedule, Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 6.50 hectare of Forest land proposed to be diverted in favour of irrigation Department Dungarpur for the rehabilitation of Khatedar's affected under construction of Bor Ka Bhatda Dam Minor irrigation Project falls within jurisdiction of "UNTIA" village in Dungarpur Tehsil, District Dunagarpur

It is further certified that:

j. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 6.50 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 3 annexture.

k. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their Consent to it.

l. The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agriculture communities.

Inc. - Gram sabha Samiti,
Sub Divisional Samiti,
and Distt. level Samiti

(Rajendra Bhatt)
District Collector
Dungarpur (Raj.)

ANX-1

(35)

वनाधिकार अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25-07-2017

दिनांक :- 25-07-2017

"अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम डूंगरपुर द्वारा बोर का भाटड़ा लघु सिंचाई परियोजना ग्राम ऊंटिया के बांध निर्माण हेतु अवाप्त शुदा भूमि 6-50 हैक्टर के खातेदारों को विस्थापित करने हेतु रानीफुला वन खण्ड चक नं. 19 की 6-50 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत वनाधिकार पत्र एवं तत्संबंधि कार्यवाही विचाराधीन होने अथवा न होने बाबत प्रमाण-पत्र चाहा गया है। उक्त सम्बन्ध में आज दिनांक 25-07-17 को जिला कलक्टर डूंगरपुर की अध्यक्षता में वनाधिकार की जिला स्तरीय समिति की बैठक आहुत की गई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए।

(1)	श्री दिलीप कुलासुआ	सदस्य	निर्वाचन क्षेत्र ककोड़ा
(2)	" देवीलाल कटारी	सदस्य	निर्वाचन क्षेत्र देवल खास
(3)	" विनय पाठक R.A.S	सदस्य	अति. जिला कलक्टर डूंगरपुर
(4)	" राम किशन मीणा R.A.S	सदस्य सचिव	परियोजना अधि. (TAD) (T.A.D.) डूंगरपुर
(5)	" सहायक वन संरक्षक (प्रशान्त गर्ग)	सदस्य	(A.C.F. डूंगरपुर)

जिला कलक्टर डूंगरपुर द्वारा बोर का भाटड़ा लघु सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण हेतु अवाप्त शुदा भूमि के खातेदारों को विस्थापित करने हेतु रानीफुला वन खण्ड चक नं. 18, 19 की 6-50 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की गई। कुल 6-50 हैक्टर वन भूमि प्राप्ति के बदले में ग्राम नवावाड़ा में कुल 6-50 हैक्टर भूमि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2755-60 दिनांक 25-07-17 से वन विभाग डूंगरपुर को आवंटित की गई है। उक्त बांध निर्माण के विस्थापितों के पुनर्वास की भूमि 6-50 हैक्टर ग्राम पंचायत ऊंटिया में अवस्थित है। ग्राम पंचायत ऊंटिया की ग्राम सभा बैठक दिनांक 22-07-2017 द्वारा प्रस्तावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की भूमि में वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किसी दावेदार को पट्टा (अधिकार पत्र) जारी नहीं किया है तथा न ही वनाधिकार दावा पट्टा जारी करने का विचाराधीन है बाबत प्रस्ताव प्रस्ताव लिया गया। इसी अनुरूप वनाधिकार की उप

ANX-I

वन भूमि पुनर्वास हेतु दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। तथा प्रस्तावित वन भूमि 6.50 हैक्टर भूमि पर वर्तमान में अतिक्रमण / आवंटन नहीं किया है व वनाधिकार अधिनियम 2006, 2008 व संशोधित नियम 2012 के तहत वनाधिकार दावों में पट्टा (अधिकार पत्र) जारी नहीं हुए है एवं न ही पट्टा जारी करने सम्बन्धि कोई प्रकरण विचाराधीन है।

ग्राम सभा समिति ~~e~~ ऊंटिया एवं उपखण्ड समिति डूंगरपुर में वनाधिकार अधिनियम 2006, 2008 व संशोधित नियम 2012 के तहत वनाधिकार पत्र (पट्टा) जारी नहीं होने एवं न ही कोई प्रकरण की कार्यवाही विचाराधीन होने से वांछित वनाधिकार प्रमाण पत्र वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु जारी करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

[signature] 25.7.17 ADM Dung.

[signature] Prashant Garg, ACF

[signature] जि. प. स., देवस्थान

[signature] 25/7 जिला कलक्टर डूंगरपुर

[signature] POT (TAD) 25/7/17

[signature] जि. प. स. वार्ड 22 ऊंटिया 25/7/2017

ANX-2

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज0)

क्रमांकः– एसडीएम/राजस्व/2017/1230 दिनांकः–24/7/17

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
डूंगरपुर

विषयः– बोर का भाटडा बांध निर्माण में अवाप्त भूमि से विस्थापित काश्तकारों को वनखण्ड रानीझुला में वन भूमि आवंटित करने बाबत।

प्रसंगः– ग्राम पंचायत उटिया पं0स0 झोथरी का पत्र क्रमांक 2017–18/36 दिनांक 22.7.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क में निवेदन है कि बोर का भाटडा बांध निर्माण करने से विस्थापित काश्तकारों को वनखण्ड रानीझुला में भूमि आवंटन करने हेतु ग्राम सभा उटिया द्वारा दिनांक 22.7.2017 को प्रस्ताव पारित किया गया जिसकी छाया प्रति संलग्न है। ग्राम सभा में विस्थापित काश्तकारों को वनखण्ड रानीझुला के चक नं0 18 एवं 19 में रकबा 6.50 हैक्टर भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया । प्रस्ताव में आवंटन की जाने वाली भूमि पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण/ आवंटन नही होना बताया जाकर आवंटन हेतु उपयुक्त होना बताया है साथ ही यह भी दर्शाया गया है कि उक्त भूमि के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत पट्टे जारी नही हुए है एवं पट्टे जारी करने के संबंध में कोई प्रकरण विचाराधीन नही है।

ग्राम पंचायत उटिया के प्रासंगिक पत्र में वर्णित विषय के क्रम मे दि0 24.7.2017 को उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है।

बैठक में लिये गये निर्णयानुसार वनखण्ड रानीझुला के चक नं0 18 एवं 19 में रकबा 6.50 हैक्टर भूमि जो प्रत्यावर्तन के लिये प्रस्तावित है में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत पट्टे जारी नही हुए है एवं पट्टे जारी करने के संबंध में कोई प्रकरण विचाराधीन नही है।

अतः पत्र श्रीमान की सेवामें सादर प्रस्तुत है।

भवदीय

संलग्न– उपरोक्तानुसार कुल किता–5

(दीपक मेहता)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

ANX-2

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी डूँगरपुर

क्रमांक:– राजस्व/2017/ 1231-33 दिनांक 24/7/17

:: बैठक कार्यवाही विवरण ::

बोर का भाटडा बाँध निर्माण करने के लिए अवाप्त भूमि के कारण विस्थापित काश्तकारों को रानीझुला वनखण्ड के चक 18 व 19 की 6.50 है0 भूमि आवंटन करने हेतु उक्त भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है के संबंध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक का आज दिनांक 24.7.2017 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संलग्न सूची अनुसार अधिकारियों एवं सदस्यों ने भाग लिया ।

बैठक में अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम डूंगरपुर के पत्र कमांक 2537 दिनांक 21.7.2017 के अनुसरण में सरपंच/ सचिव ग्राम पंचायत उटियां द्वारा दिनांक 22.7.2017 को ग्रामसभा का आयोजन कर बोर का भाटडा बांध निर्माण कार्य से विस्थापिता काश्तकारों को वनखण्ड रानीझुला के चक नं0 18 एवं 19 में रकबा 6.50 हैक्टर भूमि आवंटन करने हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाकर उपखण्ड स्तरीय समिति को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रस्ताव में आवंटन की जाने वाली भूमि पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण/ आवंटन नही होना बताया जाकर आवंटन हेतु उपयुक्त होना बताया है साथ ही यह भी दर्शाया है कि उक्त भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के पट्टे जारी नही है एवं पट्टे जारी करने के संबंध में कोई प्रकरण विचाराधीन नही है।

इस संबंध में क्षेत्रिय वन अधिकारी द्वारा बताया गया कि विभाग में मौजूद अतिक्रमण रजिस्टर का अवलोकन किया जिससे जाहिर पाया गया कि रानीझुला वनखण्ड की चक 18 एवं 19 की 6.50 है0 उक्त भूमि जिसका प्रत्यावर्तन प्रस्तावित है पर कोई अतिक्रमण एवं कब्जा नही है। पूर्व में उक्त भूमि में के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत पट्टे जारी नही हुए है एवं वर्तमान में पट्टे जारी करने के संबंध में कोई प्रकरण विचाराधिन नही है।

जिस पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(दीपक मेहता)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर
दिनांक 24/7/17

वनाधिकार/राजस्व/2016 1231-33
1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, डूंगरपुर
2. वन संरक्षक डूंगरपुर ।
3. विकास अधिकारी पं0स0 डूंगरपुर/आसपुर
4. क्षेत्रिय वन अधकारी, डूंगरपुर
5. मनोनित सदस्य सर्व श्री

ANX-2

बोर का भाटडा बांध निर्माण के संबंध में विस्थापित काश्तकारों को वन खण्ड रानीझुला में वन भूमि आवंटन करने के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन आज दिनांक 24.7.2017 को किया गया जिसमें निम्न अधिकारियो/सदस्यों ने भाग लिया :-

क0सं0	नाम अधिकारी/सदस्य	विभाग/पद	वि0वि0/हस्ताक्षर
1	दीपक मेहता	उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर	[illegible]
2	रघुवीर सिंह मीणा	विकास अधिकारी झोथरी	[illegible]
3	छगनलाल पमार (क्षेत्रिय)	क्षेत्रिय वन अधिकारी उदयपुर	[illegible]
4	नृपेन्द्र कुमार परमार	[illegible]	[illegible]
5			

ANX-3

कार्यालय ग्राम पंचायत डुरियो पंचायत समिति ओबरी

क्रमांक :- 2017-2018/36

दिनांक 22/07/2

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो.
डूंगरपुर

विषय :- ग्राम सभा (ग्राम पंचायत डुरियो) मे बोर का आवडा बांध निर्माण करके से विस्थापित काश्तकारों को वन खण्ड राजीका मे वन भूमि आवंटन करने हेतु प्रस्ताव पारित बाबत।

प्रसंग :- अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम डूंगरपुर के पत्रांक /तक/2017/2537 दिनांक 21/07/2017 के क्रम मे

महोदय

निवेदन है कि उपरोक्त पत्र की पालना आज दिनांक 22/07/2017 को ग्राम पंचायत डुरियो मे आयोजित ग्राम सभा मे बोर का आवडा बांध निर्माण कार्य से विस्थापित काश्तकारों को वन खण्ड भूमि राजीका से 18, 19 मे रकबा 6.50 हेक्टर भूमि आवंटन करने व सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया तथा उक्त भूमि पर वर्तमान मे कोई अतिक्रमण नहीं है, भूमि आवंटन हेतु उपयुक्त एवं खाली है तथा वर्तमान मे कोई आवंटन नहीं किया गया प्रस्ताव की प्रति संलग्न कर रिपोर्ट एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

सरपंच
ग्राम पंचायत डुरियो

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत डुरियो

ANX-3

विशेष ग्राम सभा

आज दिनांक 22-07-2017 को सरपंच श्री [illegible] की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

सर्वप्रथम आज की कार्यवाही [illegible] किया गया जिसको सर्वसम्मति से अनुमोदित किया जाता।

आज की विशेष ग्राम सभा में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

(1) आज की विशेष ग्राम सभा में सर्वप्रथम 18-19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करने के लिए सभी [illegible] लोगों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने [illegible] की विस्तृत जानकारी दी गई।

(2) चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राज्य में 01 जुलाई से 31 अगस्त 2017 के मध्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचि में संदर्भ तिथि 01-01-2017 के रूप में पंजीकरण से वंचित मतदाताओं को शत-प्रतिशत पंजीकृत करने हेतु आज दिनांक 22-07-2017 को विशेष सभा में आयोजित कर मतदाता सूची का पठन, पंजीकरण [illegible] संबंधित आवेदन पत्र [illegible] की विस्तृत जानकारी दी गई।

(3) जिन मतदाताओं का निधन हो गया है व स्थानान्तरण [illegible] हो गए हैं उनके नाम मतदाता सूची से हटाने [illegible] मतदाता सूची से हटाने को बताया गया।

(4) [illegible] की ग्राम सभा में जिनकी आयु 18-19 [illegible] नाम [illegible] मतदाता सूची [illegible] जोड़ने के लिए जानकारी दी गई।

(5) आज की विशेष ग्राम सभा में [illegible] 18-19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं के नाम [illegible] मतदाता सूची में जोड़ने की विस्तृत जानकारी दी गई।

(6) [illegible] अधिनियम [illegible] दिनांक 20/07/2017 के [illegible] दिनांक 22/07/2017 [illegible] विशेष ग्राम सभा में [illegible] ग्राम सभा ने [illegible] पर [illegible] की जा रही है [illegible] दिया गया [illegible] सभा में [illegible] किया गया जिस [illegible] तैयार कर [illegible] की गई। [illegible] 18-19 [illegible] 2005 [illegible] 2012 के [illegible] की [illegible]

ANX-3

जिसमें अधिकारी साहब, सरपंच महोदय की उपस्थिति में इन समस्त प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह कि इस भूमि पर न ही किसी प्रकार का कब्जा [illegible] है और इसमें नहीं आपत्ति [illegible] है।

अन्त में सरपंच महोदय द्वारा सभी अधिकारियों, ग्राम सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों, वार्ड पंचों का धन्यवाद दिया गया तथा ग्राम सभा की कार्यवाही को समाप्त किया गया।

मनजी
लक्ष्मीलाल [illegible]
हरिशचन्द्र [illegible]
हेमलता वार्ड पंच वार्ड संख्या 03
चतुर्भुज [illegible]
केशवलाल
कमलाशंकर
रूपलाल [illegible]
राजेन्द्र
मोहनजी
हेमा
[illegible]
आशा [illegible]
[illegible]

कल्पना कलोर
सुनिता
रामचन्द्र
हेमा
कालिदास
कमला [illegible]
हुरमा
लक्ष्मी चन्द
मानजी [illegible]
अनिल [illegible]
[illegible] ग्राम [illegible]
रमेश चन्द्र परमार
[illegible] मोहन लाल [illegible] वार्ड पंच 06
सुशीला [illegible] वार्ड पंच 5